प्रारुप–दो

(देखिये नियम–3 (6)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

1136/का.से./2019 इन्दौर

दिनांक 4 MAY 2019

उपायुक्त
रंग प्रभारी कालोनी प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956/मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के अधीन

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन श्री/श्रीमती/मेसर्स जेएनजे डेवलपर्स प्रा. लि., तर्फे डायरेक्टर श्री कार्तिक – पिता कैलाशचन्द्र जाखेटिया .

कार्यालय/निवास फ्लेट नं. 202, द्वितीय मंजिल ब्लॉक मीडोज 01 ग्रान्ड एक्सोटिका, बिचौली मर्दाना, इन्दौर।

नगर तथा तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर का एतद् द्वारा कालोनाईजर के रुप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है :–

1. यह पंजीयन नगर पालिक निगम इन्दौर क्षेत्र के लिए है।
2. प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी/भवन/प्रकोष्ठ निर्माण के पूर्व नियमानुसार अनुमति नगर पालिक निगम इन्दौर से प्राप्त करना होगी।
3. प्रत्येक कॉलोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यों का प्रारंभ करने के अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।
4. कालोनाईजर (भवन निर्माता) द्वारा मूलभुत सेवाए जैसे सड़क, पानी, बिजली, मल वहन, कचरा इत्यादि के उपबंध करना अनिवार्य होंगे।
5. निर्मित की जाने वाली कालोनी/भवन/प्रकोष्ठ में वाटर हार्वेस्टींग की व्यवस्था कालोनाईजर (भवन निर्माता) को करना होगी।
6. नये अध्यक्ष/प्रबंधक/डायरेक्टर/भागीदार की पद स्थापना एवं पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर को अनुवार्य रुप से सुचित करना होगा।
7. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
8. सहकारी गृह निर्माण संस्था होने की दशा में 90 दिन की कालावधि में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया समझा जावे।
9. कॉलोनी/भवन निर्माण/विकास कार्य में भूखण्डों/प्रकोष्ठो का आवंटन करने का करार की पात्रता तब ही होगी जब नियमानुसार अनुमति नगर पालिक निगम से प्राप्त कर ली जाती है।
10. पर्यावरण संरक्षण के नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
11. नियम एवं अधिनियमों के प्रावधानों अंतर्गत किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने की स्थिति में रुपये 5 लाख की जमा बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी तथा दण्डीय प्रावधानों के अधीन वैधानिक कार्रवाईभी की जा सकती है।
12. आवेदन में दी गई जानकारी असत्य होने अथवा छिपाये गये तथ्यों की स्थिति में तथा किसी प्रकार के विवाद या आपत्ति आने पर जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

स्थान : इन्दौर

दिनांक 4 MAY 2019

आयुक्त